कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं .हकदारी)–प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

पत्राकं सा0प्र0 (मु0) नीलामी/38779 दिनांक: जूलाई 20 , 2017

टेण्डर/नीलामी सूचना

कार्यालय महालेखकार (लेखा एवं हकदारी) – प्रथम उ0 प्र0 इलाहाबाद, के अनुपयोगी सामान यथा लकड़ी/स्टील की मेज–कुर्सी, आलमारी, रैक, इंड्रस्टियल लाकर, एकजास्ट फैन, टूल्लू पम्प, कूलर बाडी, वाटर कूलर, ए सी, अन्य तरीके के पंखे, डेस्क कलकुलेटर, पाकेट कलकूलेटर, तथा अन्य टूटी–फूटी सामाग्रियों की बिक्री सुविधाजनक ढेरियों में दिनांक 2.8.2017 समय 11 बजे पूर्वाह्न को निविदा के माध्यम से की जायेगी।

तदक्रम में पंजीकृत बोलीदाता/निविदादाता उक्त सामाग्री की ढेरियों के अनुसार राशि अंकित कर सील बन्द लिफाफे में दिनांक 1.8.2017 (सायंकाल 5) बजे तक वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय महालेखकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम के कक्ष में रखे गये बाक्स में कार्यालय के वेव साइट पर उपलब्ध नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत अपनी निविदा डाल सकतें है।

निविदा प्रपत्र, नियम एवं शर्ते कार्यालय के वेबसाइट www.agup.nic.in से डाउन लोड किया जा सकता है।

(हस्ताक्षर) 20/7/17

वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

निष्प्रयोज्य सामानों की बिकी हेतु निविदा की शर्तेः–

1. इस कार्यालय के निष्प्रयोज्य वस्तुएं जैसे की अनुपयोगी सामान यथा लकड़ी/स्टील की मेज–कुर्सी, आलमारी, रैक, इंड्रस्टियल लाकर, एकजास्ट फैन, टूल्लू पम्प, कूलर बाडी, वाटर कूलर, ए सी, अन्य तरीके के पंखे, डेस्क कैलकुलेटर, पाकेट कैलकूलेटर तथा अन्य टूटी–फूटी सामाग्रियों की बिकी सुविधाजनक ढेरियों में दिनांक 2.8.2017 समय 11 बज़े पूर्वाह्न को निविदा द्वारा आयोजित की जायेगी।

2. इच्छुक बिडर/बोलीदाता को दिनांक 24.7.2017 से 1.8.2017 (प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे) के मध्य कार्य दिवसों के दौरान बिकी से सम्बन्धित सामानों का निरीक्षण करने का अवसर दिया जायेगा।

3. इच्छुक निविदादाताओं को निविदा के साथ धरोहर धनराशि के रूप में रू0 30000/– नकद जमा की रसीद जोकि इस कार्यालय के खजांची के पास दिनांक 1.8.2017 (11 बजे पूर्वाह्न) तक जमा किया गया हो या बैंक ड्रफ्ट/एफ0डी0आर0 जोकि वेतन एवं लेखाधिकारी कार्यालय महालेखकार (लेखा एवं .हकदारी) – प्रथम, उ0 प्र0, इलाहाबाद के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. बिडर/बोलीदाता द्वारा ढेरियों के अनुसार निविदा की राशि अंकित कर सील बन्द लिफाफे में दिनांक 1.8.2017 (सायंकाल 5 बजे) तक इस कार्यालय के वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन के प्रकोष्ठ में रखे गये टेण्डर बाक्स में डाला जा सकता है।

5. नीलामी हेतु प्राप्त निविदायें कार्यालय में इस कार्य हेतु गठित कमेटी के समक्ष दिनांक 2.8.2017 (समय 11 बजे) खोली जायेगी। भाग लेने वाले इच्छुक बोलीदाता या उनका प्रतिनिधि इन बन्द लिफाफों के खोले जाते समय उपस्थित रह सकता है।

6. निविदा के खोले जाने पर जिस बिडर/बोलीदाता की निविदा दर अधिकतम पायी जाती है उसे निविदा की सकल धनराशि का 50% (प्रतिशत) तत्काल इस कार्यालय के खजांची के पास जमा करना अनिवार्य होगा तथा शेष धनराशि अगले कार्य दिवस को जमा कर सामाग्री तीन दिन के अन्दर ले जाना होगा। यदि प्रथम बोलीदाता, निविदा की सकल धनराशि का 50% (प्रतिशत) तत्काल जमा किये जाने मे असमर्थ रहता है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर धनराशि रू0 30000/–जब्त कर ली जायेगी।

7. प्रथम उच्च बोलीदाता के विफल होने पर सामाग्री की नीलामी द्वितीय उच्च बोलीदाता को कम संख्या 6 की शर्तो के अधीन दी जायेगी।

8. विफल रहने वाले बोलीदाता की जमा धरोहर राशि नीलामी की निविदा खोले जाने की तिथि से सात दिन के अन्दर वापस कर दिया जायेगा।

9. सफल निविदादाता को कुल निविदा की राशि जमा करने के बाद ही सामान तीन दिन के अन्दर उठाना होगा और यदि वह तीन दिन के अन्दर सामान नही उठा ले जाता है, तो उसके सामान की कोई जिम्मेदारी इस कार्यालय की नही होगी और सामान उसी की जिम्मदारी पर रहेगा। सामान को उठाने और ले जाने आदि की व्यवस्था एवं खर्च स्वयं सफल निविदादाता को करनी होगी। सामान उक्त समय पर न उठाने पर सफल निविदादाता को रू0 500/– प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना होगा।

10. किसी भी सरकारी कर्मचारी को निविदा की अनुमति प्राप्त नहीं होगी । ऐसा करने वाले कर्मचारी का कृत्य आचरण नियमावली के अधीन अनुचित समझा जायेगा एवं उसके बिरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

11. बिना कोई कारण बताये किसी निविदा या निविदा के अंश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।

12. किसी विवाद की स्थिति में वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का निर्णय अन्तिम होगा और सम्बन्धित निविदादाता उसे मानने के लिए बाध्य होगा।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/सा0प्र0(मु0)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

निविदा प्रपत्र

निविदा दाता का नाम	
पूर्ण पता (पता सत्यापन हेतु आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)	
टेलीफोन नम्बर	
व्यापार कय/जी.एस. टी के पंजीकरण का विवरण तथा छाया प्रति संलग्न करें	
फैक्स नम्बर	
जमानत जमा राशि का विवरण (छाया प्रतिलिपि संलग्न करें)	

नीलामी हेतु प्रस्तुत निविदा/बोली की दरों का विवरण

ढेरी संख्या	निविदा/ बोली की राशि (अंकों एवं शब्दों में)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
9	
10	
11	
12	

निविदादाता/बोलीदाता का हस्ताक्षर

नोटः जिस लाट की दर निविदादाता/बोलीदाता द्वारा नही दी गयी है उसके समक्ष शून्य अंकित करें।